उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 1758/VII-1/16/68–रिट/08
देहरादूनःदिनांकः 19 नवम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1026/VII-1/2015/68–रिट/2008 दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन केशर अनुज्ञा नीति, 2015 प्रख्ख्यापन किया गया था। वर्तमान में राज्य में स्थापित तथा भविष्य में स्थापित होने वाले स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्टों को अनुज्ञा दिये जाने में पर्यावरण संरक्षण, अवैध खनन की रोक–थाम, प्रदेश के जनसाधारण को प्रदूषण मुक्त वातावरण दिये जाने एवं ऐसी इकाइयों को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से श्री राज्यपाल खनिज विकास एवं राजस्व हित में स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर अनुज्ञा नीति, 2015 अधिक्रमित करते हुए निम्नवत् उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 है।
   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाऐं

2. जब तक इस नीति में अन्य कोई बात अपेक्षित न हो—
   (क) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;
   (ख) "कलक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी अभिप्रेत है;
   (ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
   (घ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारधारक अधिकारी अभिप्रेत है;
   (ड) "स्थानीय अधिकारी" से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी, जो क्रमशः नगर पंचायत नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का वैध रूप से हकदार है या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा न्यस्त है;
   (च) "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई कम्पनी या संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नही सम्मिलित है;
   (छ) "पर्वतीय क्षेत्र" के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढवाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग को छोड़कर), अल्मोड़ा (सम्पूर्ण भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग को छोड़कर) जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) सम्मिलित है;
   (ज) "मैदानी क्षेत्र" के अन्तर्गत जिला टिहरी गढवाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), जिला हरिद्वार एवं जिला उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भाग, सम्मिलित है;

(झ) "खनन सत्र" का तात्पर्य 01 अक्टूबर से आगामी 30 सितम्बर तक है;

(ञ) "आबादी" का तात्पर्य स्टोन केशर हेतु आवेदित दिनांक को अवस्थिति राजस्व अभिलेखों में दर्ज आबादी क्षेत्र से है;

(ट) "on site स्थापना" का तात्पर्य नदी/गधेरे में स्वीकृत चुगान पट्टा/अनुज्ञा क्षेत्र में मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापना से है;

(ठ) "Perennial river" का तात्पर्य ऐसे नदी से है जिसमे जल का प्रवाह निरन्तर वर्षभर होता रहता है;

(ड) "Non-Perennial river" का तात्पर्य ऐसे नदी से है जिसमे जल का प्रवाह केवल वर्षाकाल में ही होता है;

(ढ) "नियमावली" का तात्पर्य उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 यथासंशोधन सहित से है;

(ण) "शब्द और पद" जो परिभाषित नहीं है, परन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में परिभाषित है के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये उक्त अधिनियम में दिये गये हैं। ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण यदि आवश्यक हो, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा जारी किया जायेगा;

अध्याय– I- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट

स्टोन केशर प्लांट/ स्क्रीनिंग प्लांट स्थल चयन हेतु समिति

1. स्थल चयन एवं स्थल की जांच हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जायेगा :–
   1. प्रस्तावित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी –अध्यक्ष।
   2. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी या उसका प्रतिनिधि – सदस्य।
   3. उत्तराखण्ड पर्यारण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि – सदस्य।
   4. भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स – सदस्य।
   5. सम्बन्धित ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी– सदस्य सचिव।

स्टोन केशर प्लांट/ स्क्रीनिंग प्लांट हेतु आवेदन

2. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन शुल्क सहित पांच प्रतियों में निम्न अभिलेखों सहित संबंधित जनपद के भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा :–

1–आवेदन पत्र।

2–आवेदन शुल्क संयत्र की क्षमता के अनुसार।

3–आवेदित स्थल का खसरा मानचित्र।

4–साईट प्लान।

5–आवेदित स्थल का खसरा विवरण।

6–आवेदक भूस्वामी न होने पर संबंधित स्थल के भूमिधरों की अनापत्ति।

7–आवेदन पत्र निर्धारित चालान प्रस्तुत करने के उपरान्त स्थानीय समाचार पत्र में प्रभावित व्यक्तियों की अनापत्ति के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति।

8–आवेदक यदि फर्म या कम्पनी हो तो फर्म का रजिस्ट्रेशन एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति या मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैन्डिग की प्रति ।

9–स्थाई निवास प्रमाण–पत्र।

10–आवेदक/भागीदारों का चरित्र प्रमाण पत्र।

11–आवेदक/भागीदारों का खनन अदेयता प्रमाण पत्र ।

12–टिन नम्बर।

13–आयकर अदेयता प्रमाण पत्र/शपथ पत्र।

14–स्क्रीनिंग प्लान्ट से निकलने वाले अनुपयुक्त उपखनिज का निस्तारण का प्रकार एंव विधि का विवरण का शपथ पत्र।

15–स्टोन केशर स्वामी/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी को प्लान्ट में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल (आर0बी0एम0) आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत को सूचित किया जाना होगा।

इस हेतु संचालक एवं खनन पट्टाधारक के मध्य हुए उपखनिज आपूर्ति के अनुबन्ध की सत्यप्रति उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

16– स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी के द्वारा प्लान्ट में कच्चे माल एवं तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों के अधीन भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त करेगा। भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं निदेशक की संस्तुति के उपरान्त क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की अनुज्ञा की स्वीकृति के समय शासन द्वारा प्लांट की स्वीकृत अवधि हेतु किया जायेगा।

प्लान्ट स्वामी के द्वारा क्रय एवं विक्रय किये गये खनिज का लेखा–जोखा पंजिका "क" में करेगा तथा मासिक विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्य कर कार्यालय एवं भूतत्व एवं खनिजकर्म कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

ई–रवन्ना प्रणाली का प्रयोग होने की दशा में ई–रवन्ना की विवरणी को मान लिया जायेगा।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट में उपखनिज कच्चा माल व पक्का माल के भण्डारण व सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/ज्ये0 खान अधिकारी/खान अधिकारी (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत अधिकारी) द्वारा किया जायेगा।

17–स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालकों द्वारा बालू, बजरी, बोल्डर (अर्थात कच्चा माल) क्रय किये जाने वाले स्रोत एवं पूर्व से भण्डारित उपखनिज की मात्रा की घोषणा शपथ–पत्र पर ई–रवन्ना हेतु रजिस्ट्रेशन से पूर्व भूतत्व खनिकर्म के जनपद स्तरीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

कच्चे माल का स्रोत प्लांट संचालक द्वारा उपलब्ध न कराये जाने की दशा में संबंधित जनपद के खान अधिकारी के द्वारा ई–प्रपत्र 'जे' की निकासी रोकते हुए पूर्व में क्रय किये गये कच्चे माल के श्रोत की जांच कर अन्तिम निर्णय के उपरान्त ई–प्रपत्र "जे" की अनुमति प्रदान की जायेगी।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के आवेदन हेतु निम्नलिखित दूरी के मानक होंगे:–

क्र0सं0	स्थान	मैदानी क्षेत्र हेतु संयत्र से न्यूनतम दूरी (मीटर में)	
1	2	3	
		स्टोन क्रेशर	**स्क्रीनिंग प्लान्ट**
1.	सरकारी वन	100 मीटर	50 मीटर
2.	(क) नदी (Perennial river) के किनारे से	500 मीटर	10 मीटर
	(ख) (Non-Perennial river) वर्षाती नदी, नाला, गधेरा के किनारे से	50 मीटर	10 मीटर
3.	धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि)	300 मीटर	100 मीटर
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि	300 मीटर	100 मीटर
5.	आबादी से दूरी	300 मीटर	100 मीटर

टिप्पणी –(1) पर्वतीय क्षेत्र के स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लाटों हेतु दूरी के मानक मैदानी क्षेत्र के दूरी के मानकों के 50 प्रतिशत होंगे।

(2) चयन समिति किसी भी दशा में किसी भी मानक में शिथिलीकरण की संस्तुति नहीं करेगी।

(3) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के आवेदन के उपरान्त यदि कोई धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि), स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि एवं आवासीय भवन एवं परिवार का एक मकान/एक से अधिक परिवार का मकान आदि का निर्माण कराया जाता है, तो उनके द्वारा की

गयी आपत्ति मान्य नहीं होगी और प्लान्ट के नवीनीकरण/स्वीकृति में भी कोई व्यवधान नहीं माना जायेगा।

स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल

3. इस नीति के प्रख्यापित होने के पश्चात आवेदित/स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल का निर्धारण निम्नवत् मानकों के अनुसार किया जाना होगा :–

(क) स्टोन केशर प्लान्ट/स्कीनिंग प्लान्ट की क्षमता – टन प्रति घंटा

(ख) प्रतिदिन स्टोन केशर प्लान्ट/स्कीनिंग प्लान्ट संचालन की अवधि –औसतन 10 घंटा प्रतिदिन (यदि प्लान्ट स्वामी 10 घंटे से अधिक संचालन करना चाहता है, तो वह इस आशय का शपथ पत्र सम्बन्धित ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा)।

(ग) स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट के संचालन हेतु कच्चा माल आर0बी0एम0 की आवश्यक मात्रा प्रतिदिन = कxख टन प्रतिदिन

(घ) वर्षा ऋतु आदि हेतु खनन चुगान की एक वर्ष में बंदी की अवधि = 120 दिन।

(ङ) बन्दी अवधि हेतु कच्चे माल/आर0बी0एम0 की कुल मात्रा अर्थात् स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट की भण्डारण क्षमता= 120 x क x ख= क्षमता टन में।

(च) कच्चा माल (आर0बी0एम0) एंव पक्का माल का भण्डारण औसतन 05 मीटर की ऊंचाई तक।

(छ) कच्चा माल (आर0बी0एम0) का भण्डारण का क्षेत्रफल

$$\frac{\text{कxखx120 दिन}}{\text{2.2x 5}}$$

(1 घनमीटर = 2.2 टन)

(ज) तैयार माल के भण्डारण, हरित पट्टिका, प्लान्ट की स्थापना एवं वाहनों के आवाजाही एवं रखरखाव इत्यादि हेतु आर0बी0एम0 एवं भण्डारण क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत अतिरिक्त क्षेत्रफल।

(झ) कुल क्षेत्रफल = छ+ज वर्गमीटर

यदि केशर/स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा औसतन संचालन अवधि से अधिक अवधि बढ़ाये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो उपरोक्तानुसार भण्डार की क्षमता एवं क्षेत्रफल को निर्धारित शुल्क अतिरिक्त रूप से जमा कर ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक द्वारा संशोधित किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।

(ट) प्लांट स्वामी तैयार माल का भण्डारण क्षमता जितना चाहे उतना कर सकता है। इसके लिए उसे तैयार माल के भण्डारण हेतु क्षेत्रफल को विस्तारित करते हुए नियमानुसार भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृत कराना होगा।

नीति के प्रख्यापन से पूर्व स्थापित स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट के स्वीकृत भण्डारण क्षेत्र की गणना भी इसी प्रकार की जायेगी, परन्तु यदि आगणित क्षेत्र वर्तमान भण्डारण क्षेत्र से अधिक होगा तो क्षेत्रफल के आधार पर क्षमता का निर्धारण किया जायेगा।

स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु आवेदन क सम्बन्ध में प्रकाशित विज्ञापन के कम में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जाना

4. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने के 03 दिन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्थानीय समाचार पत्र जिसका क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार हो, में स्वयं के व्यय पर विज्ञप्ति जिसमें आवेदक का नाम, पता व आवेदित स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित हो, स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय से प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि, जो निर्धारित दूरी के अन्तर्गत आता हो तथा उक्त स्थल पर स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर अनुज्ञा स्थापित/संचालन किये जाने से प्रभावित हो अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिन के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी एवं ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को प्रस्तुत करेगा। उक्तानुसार प्रकाशन के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है, तो उक्त आवेदन पत्र के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए संस्तुति जिलाधिकारी